A·L·M 1

विद्यालय का नाम : परख पब्लिक स्कूल, सांवेर
कक्षा : 9 वीं दिनांक :
विषय : अर्थशास्त्र कालांश : II
प्रकरण : उपभोक्ता अधिकार समय : 90 min
शिक्षण विधि : स्व - अध्ययन विधि

[*] परिचय :

यह अध्याय हमारे देश में बाज़ार की कार्यप्रणाली के बारे में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर विचार करता है। बाज़ार में नियमों और कानूनों को लागू तो कर दिया जाता, परन्तु पालन कोई नहीं करता। इसलिए नए उपभोक्ताओं को ~~असलियत~~ बताने के लिए उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु, उन्हें प्रोत्साहित करने कि आवश्यकता है। नये उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के रूप में सावधान और नियमों व अधिकारों से परिचित कराना आवश्यक है। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे वास्तविक जीवन में उपभोक्ता शोषण का शिकार होते हैं और कैसे वैध संस्थानों ने उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कि है। उन्हें अपने नुकसान की भरपाई में मदद कि है। आज हमे जरूरत है कि हम अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहें,

जब कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद का इस्तेमाल करता है तो वह भी बाजार में भागीदार बन जाता है। उपभोक्ता के बगैर बाज़ार का कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन किया जाता है। आपका सामना अक्सर ऐसे दुकानदारों से होता होगा जो वजन करते समय बेईमानी करते हैं या नकली सामान बेचते हैं। खरीदी गई वस्तु की शिकायत करने पर, विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डाल देता है।

उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई थी। 1970 के दशक तक इस तरह के आंदोलन केवल अखबारों में लेख लिखने और प्रदर्शनी लगाते थे। लेकिन वर्तमान में इन आंदोलनों में गति आ गई है।

एक लंबे संघर्ष और समय के बाद सरकार ने भी उपभोक्ताओं को न्याय दिलवाने के लिए 1986 में कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (कोपरा) को लागू किया।

उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित हैं (1) सूचना पाने का अधिकार (2) चयन का अधिकार (3) क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार

अधिकार का शोषण होने पर उपभोक्ता, उपभोक्ता केन्द्र पर अपनी शिकायत दर्ज करा सक

है।

[*] मौन वाचन :

कक्षा के समस्त छात्रों को समूह में वर्गीकृत करके पेज संख्या 55 से 60 तक मौनवाचन करने को कहा गया तथा कठिन शब्दों और इन के अर्थों को अपनी पुस्तिका मे लिखा गया।

[*] कठिन शब्द : अर्थ :

कठिन शब्द	अर्थ
1) उपभोक्ता	दैनिक वस्तुओ को उपभोग करने वाला
2) उत्पादक	उत्पादन करनेवाला
3) विनियम	नियंत्रण, रोक
4) शोषण	श्रम का अनुचित लाभ उठाना
5) बाज़ार	जहाँ सामान का आदान प्रदान मूल्य के लिए होता है।
6) न्यायालय	अदालत
7) विक्रेता	सामान / वस्तु बेचने वाला
8) पर्यवेक्षण	निगरानी करने का काम
9) मुद्रित मूल्य	छापा हुआ मूल्य
10) कानून	विधान

मानस चित्रांकन :

सभी छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने हेतु एक मानस चित्रांकन (विषय सम्बन्धित) तैयार करने को कहा गया। एक छात्र द्वारा तैयार किया गया चित्रांकन इस प्रकार है :

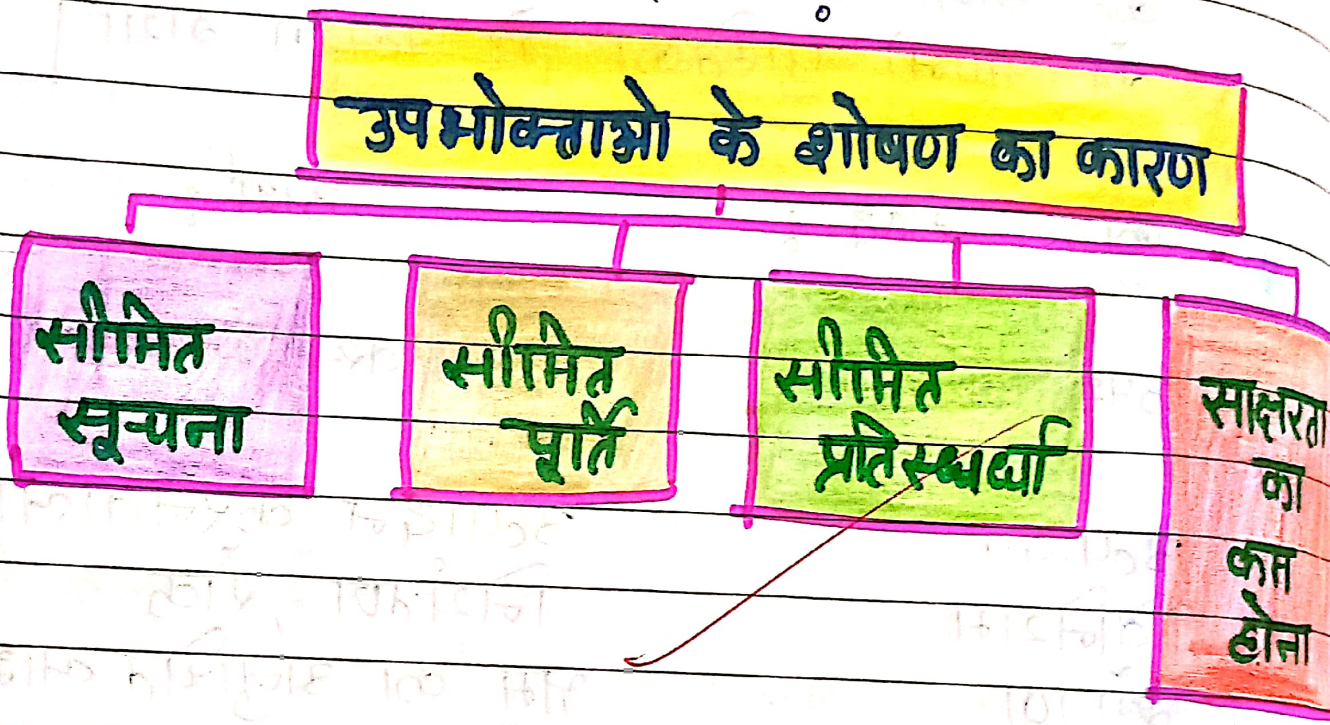

सारांशीकरण :

मानस चित्रांकन प्रस्तुत करने के बाद मानस चित्रांकन का सारांशीकरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत समूह चर्चा कर विद्यार्थी स्वयं अपनी कॉपी में लिखेंगे।

[*] समूहचर्चा एवं प्रस्तुतीकरण :

प्रत्येक समूह में से एक प्रतिनिधि को, समूह द्वारा तैयार किया गया मानस चित्रांकन एवं सारांश को कक्षा में समझाने हेतु आमंत्रित किया गया।

[*] सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नबलन :

विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह द्वारा मानस चित्रां-कन एवं सारांश प्रस्तुत करने के पश्चात् शिक्षक द्वारा विषय की अवधारणा स्पष्ठ होने में कमी को पूर्ण कर विद्यार्थियों के सहयोग से नया मानस चित्रांकन एवं सारांश प्रस्तुत किया गया।

[*] मानस चित्रांकन (आदर्श) :

P.T.O →

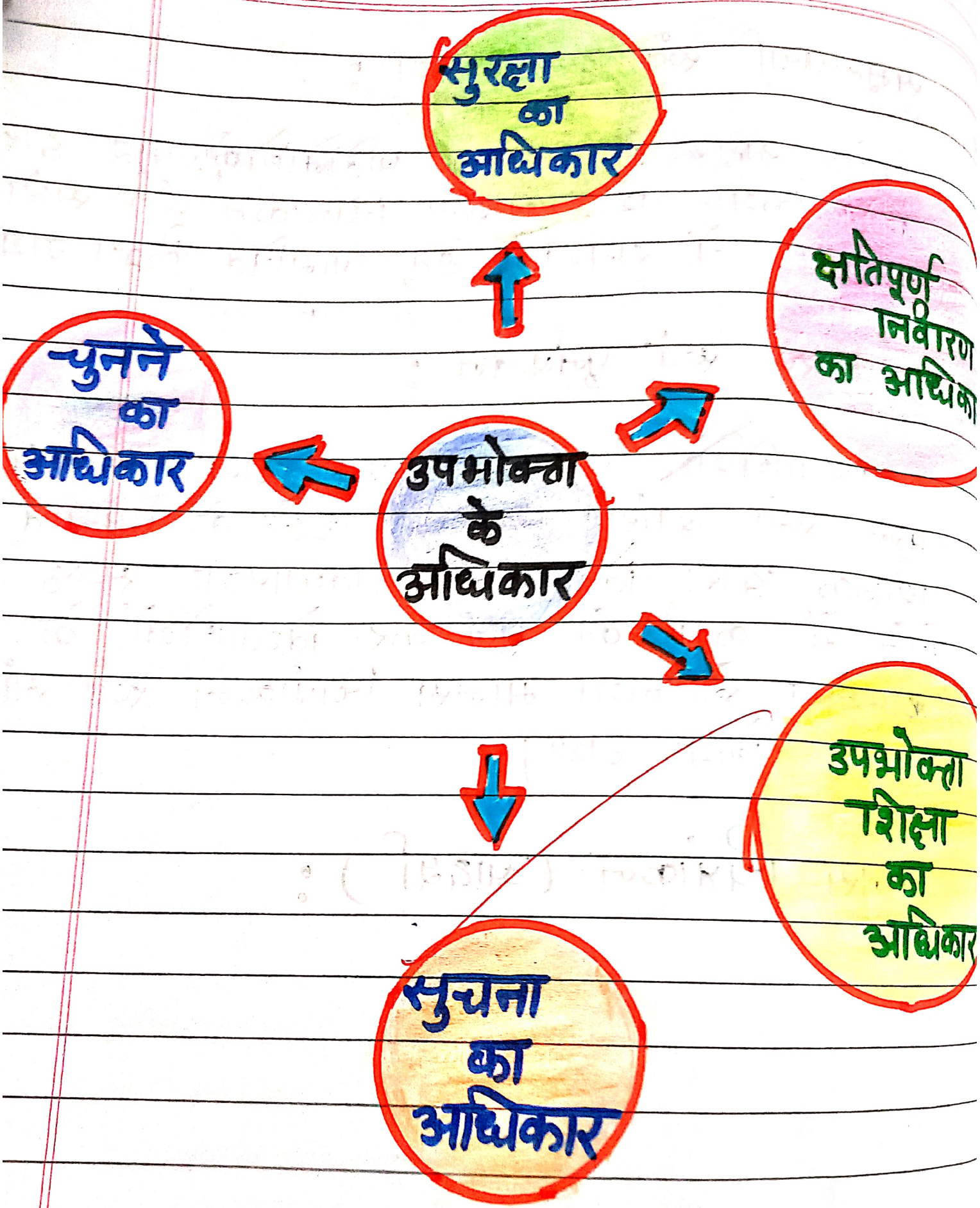
सुरक्षा का अधिकार
क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार
चुनने का अधिकार
उपभोक्ता के अधिकार
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
सूचना का अधिकार

[*] आंकलन :

अध्याय समझाने के बाद विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पुछे गए :

प्र०1) बाज़ार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

प्र०2) भारत में उपभोक्ता आंदोलन कि शुरुआत किन कारणों से हुई?

प्र०3) दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता का वर्णन करें?

प्र०4) उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी?

प्र०5) उपभोक्ता के रूप में आपके क्या कर्तव्य है?

[*] उपचारात्मक शिक्षण :

आंकलन के बाद बच्चों का परिणाम देख कर, जिन बच्चों को अध्याय संबंधित परेशानी या कुछ समझ नहीं आने पर, उन्हें पुनः

समझाया व अभ्यास कराया जायेगा।

1) पाठ से सम्बंधित त्रुटियों को सुधारा जायेगा।

2) आवश्यकता अनुसार उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा।

3) महत्वपूर्ण तथ्यों को कॉपी में लिखने को कहा जाएगा।

[*] लेखन कार्य / गृह कार्य :

1) खाद्य सामग्री खरीदते समय आप कौन सा चिन्ह पैकेट पर देखेंगे और क्यों?

2) उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएँ।

विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक हस्ताक्षर

प्राचार्य हस्ताक्षर